न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस अपील

संख्या– एल आर ए / 45 / 2016

उनवान

1. अम्बालाल पुत्र हीरा लाल गुर्जर निवासी गुलखेडा (रघुनाथपुरा) तहसील आसीन्द हाल तहसील बदनोर , जिला भीलवाडा

अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार,आसीन्द हाल तहसीलदार बदनोर जिला भीलवाडा

———रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व आदेश जिला कलक्टर,, भीलवाडा के प्रकरण संख्या एफ.12–3(अ) (2) / आरए / 98 / आर–1455 सेट–ए–पार्ट आदेश दिनांक 17.6.1998

अभिभाषक : 1. श्री बी एल गुर्जर अधिवक्ता अपीलार्थी

2. श्री ओम प्रकाश सोनी, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1

आदेश

दिनांक 19.2.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि जिला कलक्टर, भीलवाडा ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 कीधारा 92 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम रघुनाथपुरा उर्फ गुलखेडा की बिलानाम आराजी नम्बर 132 कुल रकबा 2.16 हेक्टर का सम्पूर्ण रकबा तथा आराजी नम्बर 0.64 में से 0.46 हेक्टर कुल रकबा 2.62 हेक्टर भूमि सार्वजनिक / राजकीय भवनों के प्रयोजनार्थ सेट–ए पार्ट की। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एवं उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय / कार्यालय के आदेश की जानकारी पूर्व में नहीं हुई थी। जब नकल जमाबंदी दिनांक 27.9.2016 को प्राप्त की गई तब पटवारी हल्का ने अपीलार्थी को बताया कि वादग्रस्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित कर दी गई है। तब जाकर अपीलार्थी ने अपीलाधीन निर्णय की प्रति प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किये जाने का निवेदन किया ।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम गुलखेडा (रघुनाथपुरा) तहसील आसीन्द हाल तहसील बदनोर की साबिक आराजी नम्बर 155 मीन रकबा 26 बीघा 19 बिस्वा में से 2 बीघा भूमि अपीलार्थी को आवंटित की गई थी। जरिये इन्तकाल नम्बर 134 दिनांक 30.7.1990 से राजस्व रेकार्ड में इसका इन्द्राज भी किया गया । जिस भूमि पर आवंटन के समय अपीलार्थी काबिज हुआ उस पर अपीलार्थी का आज भी कब्जाकाश्त चला आ रहा है। अपीलार्थी / वादी की कब्जेसुदा आराजी को राजस्व रेकार्ड में भू प्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान बिलानाम दर्ज कर दिया गया । भू प्रबन्ध के दौरान साबिक आराजी नम्बर 155 के नवीन आराजी नम्बर 132 रकबा 2.16 हेक्टर एवं आराजी नम्बर 133 रकबा 0.27 हे0 दर्ज किये गये। हाल आराजी नम्बर 132 रकबा 2.16 हेक्टर में से 43 एयर भूमि पर अपीलार्थी का कब्जाकाश्त है। हाल साबिक

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आराजी नम्बर 132 रकबा 2.16 हेक्टर को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया ।

5. प्रत्यर्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपीलार्थी की अपील को मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

6. प्रत्यर्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी ने अपने कब्जे बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। जिससे वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी द्वारा काश्त किया जाना प्रमाणित होता हो। वादग्रस्त भूमि आरक्षित किये जाने के समय बिलानाम दर्ज रेकार्ड थी। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

7. हमने उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, रेकार्ड का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भावी एवं संतोषप्रद होने से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

8. अधीनस्थ न्यायालय / कार्यालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.6.1998 द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

1956 की धारा 92 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत ग्राम रघुनाथपुरा उर्फ गुलखेडा तहसील आसीन्द हाल तहसील बदनोर की बिलानाम आराजी नम्बर 132 रकबा 2. 16 हेक्टर का सम्पूर्ण रकबा एवं आराजी नम्बर 64 रकबा 0. 46 हेक्टर का सम्पूर्ण रकबा कुल किता 2 रकबा 2.162 हेक्टर किस्म बिलानाम भूमि को सार्वजनिक /राजकीय भवनों इत्यादि के प्रयोजनार्थ सेट ए पार्ट (आरक्षित) किया गया । जिस समय अधीनस्थ न्यायालय/कार्यालय द्वारा वादग्रस्त भूमि को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित की गई उस समय भूमि की किस्म राजस्व रेकार्ड में बिलानाम दर्ज रेकार्ड थी।

9. अपीलार्थी/वादी का कथन है कि वादग्रस्त साबिक आराजी नम्बर 155 मीन रकबा 26 बीघा 19 बिस्वा में से जिस भू भाग 2 बीघा भूमि पर अपीलार्थी/वादी को कब्जा सौंपा गया था। उस पर आवंटन के पश्चात से लगातार वादी का कब्जाकाश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि को उसने उपजाऊ बनाने के लिए श्रम एवं राशि व्यय की है। अपीलार्थी/वादी ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित होता है कि आराजी नम्बर 155 मीन रकबा 26 बीघा 19 बीघा में से किस भू भाग पर उसे कब्जा सुपुर्द किया गया एवं उसे नक्शे में कहॉ पर पैमूद किया गया।

10. अपीलार्थी का यह कथन है कि अपीलार्थी को साबिक आराजी नम्बर 155 मीन में से 2 बीघा भूमि पर उसका कब्जा था उसके भू प्रबन्ध के बाद नवीन आराजी नम्बर 132 रकबा 2.16 हेक्टर कायम किये गये । जिसमें से अपीलार्थी/वादी को आवंटित 2 बीघा रकबा जिसका हाल

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

रकबा 0.43 हेक्टर इसमें समायोजित करते हुए सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलग्न खसरा गिरदावरी संवत 2061 से 2064 में हाल आराजी नम्बर 132 रकबा 2.16 बीड को बिलानाम गैर काबिलकाश्त सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित किये जाने का इन्द्राज किया हुआ है। जो प्रदर्श 3 है। इसी प्रकार जमाबंदी खतौनी ग्राम रघुनाथपुरा पटवार क्षेत्र जगपुरा संवत 2061 से 2064 में भी वादग्रस्त आराजी नम्बर 132 रकबा 2. 16 हेक्टर को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित किये जाने का इन्द्राज किया हुआ है जो प्रदर्श 4 है। अपीलार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में कोई राजस्व रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है जिससे वादग्रस्त भूमि पर आवंटन के पश्चात से अपीलार्थी / वादी का वादग्रस्त भूमि पर कब्जाकाश्त साबित होता हो।

11. अपीलार्थी ने राजस्व रेकार्ड वादग्रस्त आराजी को कोई नक्शा ट्रेस प्रस्तुत नहीं किया है। जिस नक्शे में साबिक आराजी नम्बर 155 मीन रकबा 26 बीघा 19 बीघा में से अपीलार्थी / वादी को जो 2 बीघा भूमि का आवंटन किये जाने के उपरान्त तरमीम की गई हो । यदि उस पर अपीलार्थी / वादी का कब्जाकाश्त होता एवं राजस्व रेकार्ड में तरमीम किया हुआ होता तो उसका इन्द्राज उसी रूप में भू प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों द्वारा किया जाता । अपीलार्थी / वादी का वक्त भू प्रबन्ध कब्जाकाश्त नहीं होने से एवं नक्शे में तरमीम नहीं होने के कारण भू प्रबन्ध विभाग द्वारा वादी को आवंटित भूमि को नहीं दर्शाया गया । जिस कारण वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज की गई। जिसकी ताईद भू प्रबन्ध विभाग के खसरा पत्रक संवत 2038 से भी होती है। जिसमें वर्तमान आराजी नम्बर 132 रकबा 2.16 हेक्टर के गत खसरा नम्बर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

155 मीन अंकित है व गत व वर्तमान दोनों में बिलानाम गैर काबिलकाश्त ही दर्ज है।चूंकि वादग्रस्त भूमि को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित किये जाने के समय भूमि की किस्म बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज थी एवं अपीलार्थी / वादी का कब्जाकाश्त नहीं था । इसलिए अपीलार्थी / वादी को सुनवाई का अवसर दिये जाने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो अपीलाधीन निर्णय किया है । वह विधिसम्मत है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

12. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.6.1998 को यथावत रखा जाता है।

13. निर्णय आज दिनांक 19.2.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

19/2/18

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा